

5.4.22

वकील उभयपक्ष उपर। उभयपक्ष अधि-
को वाज. डा. पत्र पर सुना गया। वकील
उर्षी का कथन है कि वाज. डा. पत्र
अन्तर म्याक गल्ट किया गया है म्याक
में गत तारीख पेशी 12.3.08 थी। उक्त
तारीख को अन्य अदालत में दायिर
होने के कारण, न्याया. में उपस्थित
नहीं हो पाये। अतः वाज. डा. पत्र स्वीकार
कर, डूल अपील पत्रवली को नम्बर पर
लिखे जाने का भिन्न किया। रैमोडेंट
अधिकार को वाज. डा. पत्र स्वीकार करने
में कोई आपत्ति नहीं है अतः वाज. डा.
पत्र स्वीकार किया जाता है। डूल अपील
पत्रवली को नम्बर पर लेने के आदेश
लिखे जाते हैं। वाज. डा. पत्र फौजल सुपार होकर
नम्बर से कम किया जाते। उक्त वाज. डा.
पत्र डूल अपील पत्रवली के साथ समेकित
रहे।

प्रधान अधिकारी
पदेन
अपील प्राधिकारी
भरतपुर (सि.ज.)